(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1137–पी.बी.आर./2004 – विरूद्ध आदेश दिनांक 16–10–1995 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 134/1994–95 निगरानी

ग्राम पंचायत बिजरपुर तहसील श्योपुर कलॉ
तत्का.जिला मुरैना वर्तमान जिला श्योपुरकलॉ
व्दारा सरपंच ––आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन
2– मॅशाराम पुत्र मथुरालाल मीना
ग्राम विचगावड़ी तहसील श्योपुरलॉ
तत्का.जिला मुरैना वर्तमान जिला श्योपुर कलॉ ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक क–1 के पैनल लायर)
(अनावेदक क–2 के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल)

आ दे श

(दिनांक 18 फरवरी, 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 134/1994–95 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16–10–1995 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है ग्राम विजरपुर पटवारी हलका नंबर 37 के ग्रामवासियों ने इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की

कि ग्राम विजरपुर की भूमि सर्वे नंबर 448 रकबा 17 वीघा 1 विसवा पर पूर्व से तालाब है जिसके किनारे मंदिर स्थित है एंव तालाब जल भराव के कारण ग्रामीणों के सार्वजनिक निस्तार का है जहां ग्रामवासी अपने मवेशियों को पानी पिलाते हैं एंव तालाब के तट पर स्थित मंदिरों के लिये भी पानी इसी तालाब से लिया जाता है किन्तु वर्ष 1994 में मॅशाराम ने तालाब पर आधिपत्य करके ग्रामवासियों को रोकने का प्रयास किया तब यह शिकायत की जा रही है। अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ ने जॉच में पाया कि राजस्व कर्मचारियों ने खसरा वर्ष 1988 में फर्जी प्रकरण क्रमांक 865/162 : 62 अंकित कर अनावेदक क्रमांक-2 मंशाराम का नाम तालाब भूमि पर अंकित किया है उन्होंने अनावेदक क-2 के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 6/1994-95 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 20-3-1995 पारित करके उक्तानुसार की गई फर्जी प्रविष्टि निरस्त कर दी।

अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अनावेदक क्रमांक-2 ने निगरानी क्रमांक 134/1994-95 प्रस्तुत की। अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 16-10-1995 से अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ के प्रकरण क्रमांक 6/1994-95 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-3-1995 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अपर कलेक्टर ने अनावेदक क-2 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि भले ही ग्राम विजरपुर की भूमि सर्वे नंबर 448 रकबा 17 वीघा 1 विसवा पर तालाब दर्ज है एंव तालाब के जल का उपयोग ग्रामीणों के सार्वजनिक निस्तार में आता है एंव मवेशीयों के पानी पीने का उपयोगी तालाब हैं । तालाब के तट पर स्थित मंदिरों के लिये भी पानी इसी तालाब से लिये जाने का तथ्य जांच में पाया गया है खसरा वर्ष 1988 में प्रकरण क्रमांक 865/162 : 62 से अनावेदक क्रमांक-2 मंशाराम के नाम उक्त तालाब भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित हुई है जिसे सुनवाई का अवसर दिये बिना अपर कलेक्टर ने प्रकरण क्रमांक 6/1994-95 स्वमेव निगरानी में आदेश दिनांक 20-3-1995 पारित किया है जो एकपक्षीय है एंव ऐसे एकपक्षीय आदेश को निरस्त करते हुये अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 16-10-1995 से सुनवाई हेतु प्रकरण वापिस करने में त्रृटि नहीं की है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 134/1994-95 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16-10-1995 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 134/1994-95 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16-10-1995 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर